महत्वपूर्ण एवं खास

स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों की अनंतिम मेरिट सूची जारी

पात्र अभ्यर्थी कराये दस्तावेज सत्यापन

रायगढ़। रायगढ़ जिले में फार्मासिस्ट ग्रेड-02, ड्रेसर ग्रेड-1, ड्रेसर ग्रेड-2, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, पुरूष, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, पुरूष, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, महिला एवं डार्करूम असिस्टेंट के पद पर भर्ती किए जाने हेतु ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की दावा-आपत्ति उपरांत अनंतिम मेरिट सूची जारी किया गया है। उक्त अनंतिम मेरिट सूची के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया है। जिसकी विस्तृत जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यालय रायगढ़ के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है एवं जिले के वेबसाईट www.raigarh.gov.in एवं विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in में अपलोड किया गया है। विस्तृत जानकारी हेतु उक्त वेबसाईट पर अवलोकन कर सकते है।

सारंगढ़ में आज दिव्यांग मेडिकल कैंप, छूटे हुए दिव्यांगों का प्रमाण पत्र के लिए होगा जांच

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कई माह से स्थापित रूटीन चेकअप कैंप अनुरूप दिव्यांगों के लिए विशेष मेडिकल कैंप सिविल अस्पताल सारंगढ़ में द्वितीय शनिवार 14 सितम्बर 2024 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जिनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र नही बना है , वे आधार कार्ड की फोटो कॉपी और दिव्यांगता दिखता हुआ 2 पासपोर्ट फोटो के साथ उपस्थित होकर अपना परीक्षण करवा कर लाभ प्राप्त करें। इस शिविर में कोई बीमार व्यक्ति भी आकर इलाज का लाभ ले सकते हैं। कैंप में आए सभी लोगों का इलाज होगा। बच्चों के बीमारी, नेत्र, अस्थि (हड्डी) और कान से जुड़े एक्सपर्ट डॉक्टरों से बीमारी का जांच करा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि विगत कई माह में आयोजितशिविर में अब तक जांच करा चुके दिव्यांग प्रमाण पत्र (यूडीआईडी) के लिए जिले के समाज कल्याण विभाग, जनपद पंचायत सारंगढ़ परिसर के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इस कैंप में दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए छूटे हुए दिव्यांगों का जांच, आंकलन और यूडीआइडी पोर्टल में रजिस्टर्ड होगा, जिनके प्रमाण पत्र बन जाने से सरकार की कई योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसमें शिशु, नेत्र, अस्थि (हड्डी) और ऑडियो लॉजिस्ट विशेषज्ञ डॉक्टर और उनके सहयोगी उपस्थित रहेंगे। इससे दिव्यांग सहित आम नागरिकों को इलाज में सुविधा और दिव्यांग को दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने में सुविधा मिलेगा। जिन दिव्यांग का पूर्व में दिव्यांग प्रमाण पत्र बन चुका है, उन दिव्यांग लोगों को इस शिविर में आने की जरूरत नहीं है। शिविर में अन्य कोई प्रमाण पत्र या सामग्री का वितरण नहीं किया जाएगा।

जिला मुख्यालय सारंगढ़ में स्वच्छता ही सेवा अभियान की रूपरेखा तैयार

सारंगढ़ बिलाईगढ़। भारत में हमारा गांव शहर सभी शामिल है, यदि हम अपने गांव शहर को साफ कर रहे हैं, मतलब हम देश को साफ कर रहे हैं और भारत को स्वच्छ करने की एक कोशिश के उद्देश्य से आगामी 15 दिनों तक देशव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर धर्मेश साहू के निर्देश पर सीएमओ राजेश पांडेय ने जिला मुख्यालय और नगरपालिका सारंगढ़ में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत शहर को स्वच्छ बनाने के लिए तैयारी शुरू की है और 16 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक कार्यक्रमों का रूपरेखा तैयार किया गया है। 16 सितंबर स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत जिसमें स्वच्छता शपथ, स्वच्छता रैली, कचरा संग्रहण में लगी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना और पौधारोपण किया जाएगा। 17 सितंबर को स्वच्छ इंटर स्कूल प्रतियोगिता स्वच्छ वाल पेंटिंग अंतर्गत निबंध, चित्रकला, रंगोली प्रतियोगिता और मैराथन आयोजित होगा। 19 सितंबर को स्वच्छ कार्यशाला अंतर्गत स्ट्रीट वेंडरों को स्वच्छता, यातायात नियमों के पालन एवं वित्तीय सहायता हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन एवं पीएम स्व निधि के माध्यम से लोन मेला आयोजित किया।

नगर पालिकाओं के आम/ उप निर्वाचन 2024-25

निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु कार्यक्रम जारी

रायगढ़

छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन नियम, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं नियम 4, 5, 6 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग एतद द्वारा संलग्न परिशिष्ट एक में उल्लेखित नगर पालिकाओं के आम निर्वाचन 2024 एवं परिशिष्ट-दो में उल्लेखित नगर पालिकाओं के उप निर्वाचन 2024 कराये जाने हेतु 1 जनवरी 2024 की संदर्भ तारीख के आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए कार्यक्रम (समय-अनुसूची)निर्धारित किया गया है।

जारी कार्यक्रम अनुसार प्रथम चरण में 18 सितम्बर 2024 तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति एवं प्रारंभिक प्रारूप निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु कर्मचारियों का चयन एवं नियुक्ति होगी। इसी तरह 20 सितम्बर तक निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/प्राधिकृत कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं भारत निर्वाचन आयोग की 01.01.2024 की स्थिति में तैयार अद्यतन विधानसभा की निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन से प्राप्त करना है। 21 सितम्बर तक विधानसभा की निर्वाचक नामावली वार्डवार पृथक कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराना, 27 सितम्बर तक प्रचलित परिसीमन के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली को वार्डवार एवं भागवार मार्किंग करना, 01 अक्टूबर तक वार्डवार एवं भागवान चिन्हित निर्वाचकों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से दर्शित वार्ड के संबंधित भाग के अनुभाग में शिफ्ट किया जाना, 4 अक्टूबर तक निर्वाचक नामावली की चेकलिस्ट (पीडीएफ) तैयार करना, 7 अक्टूबर तक चेकलिस्ट (पीडीएफ)की जांच कराना, त्रुटि सुधार कराना, 10 अक्टूबर तक चेकलिस्ट संशोधन पश्चात प्रारूप निर्वाचक नामावली मुद्रण हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रदाय करना तथा 14 अक्टूबर 2024 तक जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्वाचक नामावली का मुद्रण कराना एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराना है।

जारी कार्यक्रम अनुसार द्वितीय चरण में 16 अक्टूबर 2024 से निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन एवं दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचक नामावली उपलब्ध कराने हेतु तिथि निर्धारित किया गया है। इसी तरह 23 अक्टूबर अपरान्ह 3 बजे तक दावे/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख व समय निर्धारित है। 29 अक्टूबर दावे/आपत्तियों का निपटारे की अंतिम तारीख, 4 नवम्बर प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, 8 नवम्बर प्ररूप क-1 में प्राप्त दावा का निराकरण करने की अंतिम तिथि, दावे/आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम निराकरण आदेश पारित होने के 5 दिवस के भीतर, 13 नवम्बर परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में करना, 16 नवम्बर तक चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पीडीएफ मुद्रण हेतु जिला कार्यालय को सौंपना, 19 नवम्बर तक अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्न करना तथा 22 नवम्बर 2024 निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

पीएम बीमा योजना के अंतर्गत स्व-सहायता समूह की महिलाओं को किया जा रहा है लाभान्वित

रायगढ़

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना अंतर्गत स्व-सहायता समूहों के पात्र सदस्यों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत जोड़ा जा रहा है। योजनओं के प्रीमियम की राशि खाताधारक के बचत खाते से बैंक के द्वारा आटोडेबिट की जाती है। जिसमें उक्त दोनो बीमा को शामिल किया जाता है। पीएमजेजेवाय अंतर्गत वार्षिक प्रीमियम 436 रूपये में दो लाख रूपये का जीवन बीमा किया जाता है, जिसमें बीमित सदस्य के लिये आयु 18 से 50 वर्ष निर्धारित है। तथा सुरक्षा बीमा योजना के लिये वार्षिक प्रीमियम 20 रूपये में दो लाख रूपये का दुर्घटना बीमा किया जाता है। इस बीमा मे स्थाई विकलांगता को भी शामिल किया जाता है तथा उक्त दोनों बीमा में मृत्यु उपरांत नामिनी के खाते मे दो लाख रूपये बीमा की राशि लाभान्वित को प्रदाय किया जाता है।

बिहान योजना अंतर्गत स्व सहायता समूह के लगभग 1 लाख सदस्यों को इस बीमा से जोड़ा जा चुका है तथा इसके अतिरिक्त महिला स्व-सहायता समूह के सदस्यों को उनके आजीविका की गतिविधियों, चक्रीय निधि के रूप में 15000 व सामुदायिक निवेश निधि के रूप में 60000 रूपये शासन के द्वारा प्रदाय किया जाता है साथ ही साथ बैंक लिंकेज के माध्यम से समूह के सदस्यों को 6 लाख रूपये तक की राशि ऋण के रूप में दिया जाता है। जिस राशि का उपयोग कर समूह की दीदीयों के द्वारा आजीविका का कार्य किया जाता है। ज्ञात हो कि उक्त दोनों बीमा के द्वारा बीमित व्यक्ति के मृत्यु उपरांत प्राप्त राशि से उसके परिवारजनों को वित्तीय सहायता मिलती है, जिससे उनके परिवार में आर्थिक रूप स्थिरता बनी रहती है।

बीमा सखी द्वारा इस वित्तीय वर्ष में जिले में 40 पात्र आवेदन को संबंधित बैंक में प्रेषित किया गया है जिसमे से बीमित दीदी के नामांकित सदस्य को बीमा कंपनी के माध्यम से 17 प्रकरण का निराकरण करके हुए 2 लाख के मान से 34 लाख रूपये प्रदाय किया गया है। शेष 23 प्रकरण का नियमित रूप से जिले एवं जनपद से डीएलसीसी एवं बीएलसीसी के माध्यम से तथा बीमा सखी द्वारा फॉलो अप किया जा रहा है, जिसे जल्द से जल्द निराकरण करवा लिया जायेगा। इस वित्तीय वर्ष में 300 से अधिक प्रकरण का निराकरण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

आबकारी विभाग ने ढाबे से जप्त की नॉन ड्यूटी पेड उड़ीसा की शराब

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में आबकारी अपराधों पर नियंत्रण हेतु जारी अभियान के तहत आबकारी विभाग रायगढ़ द्वारा अन्य राज्य की अवैध शराब विक्रय की शिकायत मिलने पर ग्राम लाखा थाना सिटी कोतवाली स्थित स्वागत ढाबा में छापामार कार्यवाही की गई। ढाबा संचालक नीरज मिश्रा के आधिपत्य से काउंटर में रखी हुई मेकडावेल नंबर वन व्हीस्की एवं किंग फिशर बियर बॉटल समेत कुल 11 बल्क लीटर विदेशी शराब (उड़ीसा में विक्रय हेतु लेबल लगी) जप्त की गई। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत गैरजमानती धारा में प्रकरण कायम किया गया और जेल दाखिल की कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक जितेश नायक, आबकारी आरक्षक तुलेश्वर राठौर, लाकेश नेताम,कुलदीप ठाकुर,राजेश्वर सिंह ठाकुर, चालक भेखराम पटेल और वेदराम साहू का योगदान रहा।

ओजोन परत की रक्षा हम सबकी जिम्मेदारी

रायगढ़

ओजोन दिवस के अवसर पर हम ओजोन परत के महत्व और उसकी रक्षा के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ओजोन परत हमारे ग्रह की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और इसकी रक्षा के लिए हमें जागरूक और सक्रिय रूप से काम करना चाहिए।

उल्लेखनीय कि ओजोन दिवस 16 सितम्बर को ओजोन परत के संरक्षण हेतु जागरूता के लिए मनाया जाता है। ओजोन पर एक विशाल छतरी की तरह काम करती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक यूव्ही किरणों को रोकती है और पृथ्वी पर जैविक प्रक्रियाओं की रक्षा करती है। जो जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। यूव्ही किरण ओजोन परत द्वारा अवद्ध न होने के कारण, पराबैंगनी विकिरण के संपर्क में आने से मनुष्यों में मोतियाबिंद, त्वचा कैंसर और अन्य हानिकारक प्रभावों का खतरा बढ़ सकता है।

क्या करें-एयर कंडीशनर का रख-रखाव करें, क्योंकि उनके खराब होने से सीएफसी वायु मंडल में फैल जाता है। निजी ट्रांसपोर्ट को कम करें, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। ठोस अपशिष्ट पदार्थों को पुनर्चक्रण, ताजे फल एवं सब्जी का उपयोग ज्यादा करें एवं ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाये। क्या न करें-सीएफसी वाले एरोसोल उत्पाद न खरीदे, कीटनाशक और पेस्टिसाइड्स का उपयोग कम करें।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन पंजीयन के लिए तिथि निर्धारित

रायगढ़

रायगढ़ जिले में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज, पालीटेक्निक एंव आईटीआई आदि के प्राचार्य/संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है वे शिक्षा सत्र 2024-25 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति (कक्षा 12 से उच्चतर) के पंजीयन/आवेदन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही वेबसाईड http://postmatric-scholarship.cg.nic.in पर ऑनलाईन की जा रही है। जिसके अंतर्गत संस्थाओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन/प्रस्ताव/ स्वीकृति वर्ष 2024-25 हेतु विभाग तिथि निर्धारित की गई है।

जारी निर्धारित तिथि अनुसार विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन एवं नवीनीकरण हेतु)9 सितम्बर से 30 अक्टूबर तक, ड्रॉफ्ट प्रपोजल लॉक करने हेतु 16 सितम्बर से 14 नवम्बर तक तथा स्वीकृति आदेश करने की तिथि 16 सितम्बर से 21 नवम्बर 2024 निर्धारित है। उक्त निर्धारित तिथियों के पश्चात शिक्षा सत्र 2024-25 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन स्वीकृत नहीं किए जायेंगे एवं ड्रॉफ्ट प्रपोजल एवं स्वीकृति लॉक करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जाएगा। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वत: जिम्मेदार होंगे। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास शाखा, रायगढ़ में संपर्क कर सकते है।

नगरीय निकाय चुनाव में सभी वोटर को वोट दिलाने बरमकेला में किया गया रैली

सारंगढ़ बिलाईगढ़

कलेक्टर धर्मेश साहू के मार्गदर्शन तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के दिशा निर्देशन में नगर पंचायत बरमकेला में विद्यालय के छात्राओं द्वारा जागव वोटर" जाबो " कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगरीय निकाय चुनाव में मतदाता को वोट के लिए निर्वाचन आयोग ने जाबो वोटर प्रोग्राम तैयार किया है। इसके तहत निकाय चुनाव में उपयोग आने वाली मतदाता सूची शुद्ध बने। साथ ही आम लोगों की सहभागिता बढ़ाने फोकस किया जा रहा है। छत्तासगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी नगर पालिकाओं तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2024-25 के संदर्भ में त्रुटिरहित निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण में आम नागरिकों की सहभागिता तथा मतदान प्रक्रिया को सरलता से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से प्रचार प्रसार की क्रियान्वित योजना के तहत प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप यह रैली किया गया। इस दौरान उपस्थित छात्राओं तथा नगर पंचायत बरमकेला के अधिकारी कर्मचारियों को निर्वाचन व मतदान के प्रति जागरूक रहने एवं अनिवार्य रूप से अपने मताधिकार का उपयोग करने व अन्य लोगों को भी इस हेतु प्रोत्साहित करने के लिए रैली के माध्यम लोगों मे जन जागरूकता लाया गया। इस रैली का उद्देश्य सभी परिवार के 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके सभी सदस्यों को मतदान करने हेतु प्रेरित करना है और निर्वाचनों में भय एवं लोभ से मुक्त होकर मतदान करने तथा प्रजातांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी निभाते हुए अपने नैतिक दायित्व का पालन करना है, जो अन्य व्यक्तियों को प्रेरित करें। इस अवसर पर सीएमओ अनिल सोनवानी, दीपक विश्वकर्मा, मोहन लाल पटेल,प्रेमचंद पैकरा शिक्षक,दिनेश नायक सहित नगर पंचायत के स्टाफ उपस्थित थे।

15 सितम्बर को होगा छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2024

सारंगढ़ बिलाईगढ़

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) द्वारा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन आगामी 15 सितंबर को किया जाएगा। व्यापम द्वारा इसके लिए प्रवेश पत्र वेबसाइट व्यापम डॉट सीजीस्टेट डॉट जीओवी डॉट इन और सीजीस्टेट डॉट जीओवी डॉट इन पर जारी कर दिया है। अभ्यर्थी वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

व्यापम ने परीक्षार्थियों को निर्देश में कहा है कि प्रवेश पत्र के सभी पेज का प्रिंट आउट लें और पेज के केवल एक तरफ प्रिंट करें ताकि प्रत्येक परीक्षा हेतु व्यापम की प्रति परीक्षा केन्द्र में जमा होगी। परीक्षार्थी काले या नीले बॉल पेन का उपयोग कर सकते हैं। परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार के मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या अन्य सामग्री लेकर जाना पूर्णतः वर्जित है। प्रवेश पत्र की कॉपी सुरक्षित रखें।

निर्धारित समय पर सही परीक्षा केन्द्र में दी जाएगी प्रवेश

परीक्षा दिवस को प्रत्येक परीक्षार्थी लगभग एक घंटे पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र में उपस्थित रहें। जिससे उनके मूल पहचान पत्र से उनका पहचान किया जा सके एवं परीक्षा केंद्र में जाने हेतु अनुमति दी जा सके। यह उचित होगा कि, परीक्षार्थी परीक्षा दिवस से एक दिन पूर्व ही अपने परीक्षा केन्द्र की भौगोलिक स्थिति से भलीभाँति परिचित हो जायें। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् किसी को भी परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

पहचान पत्र का ओरिजनल कॉपी लेकर जाएं परीक्षार्थी

परीक्षार्थियों को अपना फोटोयुक्त मूल आई डी. प्रूफ जैसे मतदाता पहचान पत्र/ड्रायविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड / पासपोर्ट/विद्यालय का फोटोयुक्त परिचय पत्र / फोटोयुक्त अंकसूची मूलरूप में (फोटो कॉपी मान्य नहीं) परीक्षा दिवस में परीक्षा केन्द्र में लाना अनिवार्य होगा। मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

हेल्पलाइन

8269801982 पर संपर्क कर सकते हैं

किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र के सम्बंध में कठिनाई होती है तो हेल्पलाइन नंबर 0771-2972780 एवं मोबाइल नंबर 8269801982 पर संपर्क कर सकते हैं। अभ्यर्थी संपूर्ण प्रवेश पत्र डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट अवश्य निकालें। यदि इंटरनेट से प्राप्त प्रवेश पत्र पर फोटो नहीं आता है तो अभ्यर्थी अपने साथ दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लेकर परीक्षा केंद्र में जाएं। परीक्षार्थियों को डाकघर के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नंा 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंर्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU